

पीएमश्री विद्यालय (629+10) में संचालित बालवाटिकाओं हेतु कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम हेतु दिशा-निर्देश 2026-27

परिचय – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को स्कूल शिक्षा का बुनियादी स्तर (पूर्व प्रथमिक शिक्षा के 3 वर्ष एवं ग्रेड 1 व 2) माना गया है। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को दी गई शिक्षा ना केवल उनके भावी जीवन की नींव होगी बल्कि भावी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा को समाज के सहयोग से ही पूर्ण किया जा सकता है। इसे सहज बनाने हेतु समुदाय की सहभागिता एवं सहयोग अत्यन्त आवश्यक है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण Early Childhood Care & Education (ECCE) एवं 03 वर्ष की आयु से ही बालकों की श्रेष्ठ शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक सहभागिता को प्रभावी बनाने के लिए पीएमश्री योजना की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2026-27 में **“कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम”** गतिविधि हेतु प्रति बालवाटिका रुपये **5000 x 10 माह = 50000/-** अनुमोदित की गयी है। उक्त राशि बालवाटिका की संख्या के आधार पर जिलों को जारी की जानी है।

बजट प्रावधान –

पीएमश्री वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 अन्तर्गत Community Connect programme हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत हुई है-

Major Component	Sub Component	Activity Master Name	Activity Master Details	Activity Name	Physical	Unit Cost (In Lakh)	Financial (In Lakh)
Curriculum, Pedagogy and Assessment	Support At Pre School Education/ Bal Vatika (ECCE)	Support to Pre Primary School	Additional Grant (Recurring)	Community Connect programme	629	0.50000	314.50
					10	0.50000	5.00

कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत समस्त बालकों के अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ने, सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए **मासिक समीक्षा बैठकों** का आयोजन किया जाना है। अभिभावकों/समुदाय की सहभागिता सक्रिय रूप से बनी रहे इस हेतु **थीम आधारित गतिविधियों** का आयोजन किया जाये। गतिविधि आयोजन हेतु सामग्री क्रय, अल्पहार, प्रचार-प्रसार, पुरस्कार सामग्री आदि के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं-

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign



सत्र के आरम्भ में (एक बार) सामग्री हेतु आवर्ती व्यय प्रावधान

क्र. सं.	सामग्री	सामग्री का विवरण	अनुमानित व्यय (रूपए में)	आउटकम
1		नामांकन एवं प्रवेश से संबंधित (साइज 4x2 फीट)	400 X 2 =800/-	- समुदाय नामांकन हेतु प्रोत्साहित होगा। - विद्यालय गतिविधियों का प्रचार-प्रसार।
2	फलेक्स	अध्ययनरत/नामांकित बालकों का फोटो युक्त विवरण (साइज 4x6 फीट)	500 X 1 =500/-	- बाल वाटिका के समस्त बालकों की जानकारी एक ही पटल पर उपलब्ध होगी। - आगन्तुक एवं अभिभावकों के लिए समेकित जानकारी।
3	परिचय पत्र	प्रत्येक बालक का रंगीन फोटो युक्त परिचय पत्र	1500/- (नामांकन के अनुसार)	- समुदाय में विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। - विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति जुड़ाव होगा।
4	स्टेण्ड्रीज	कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम सामुदायिक जागरूकता स्टेण्ड्रीज फ्रेम सहित (साइज 4x2 फीट)	400 X 3 = 1200/-	विद्यालय में सत्र पर्यन्त आयोजित गतिविधियों की अभिभावकों को जानकारी उपलब्ध रहेगी।
5	बैनर	कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के साथ विद्यालय का नाम	500 X 2 = 1000/-	कार्यक्रम की जानकारी हो सकेगी।
कुल व्यय			5000 /—	

प्रति माह – आवर्ती व्यय (10माह x 4500)

क्र. सं.	सामग्री	सामग्री का विवरण	मात्रा	इकाई व्यय	अनुमानित व्यय (रूपए में)	आउटकम
1	शिक्षण अधिगम सामग्री	पोस्टर कलर, पेंसिल कलर, मार्कर, स्कैच, क्रेयोन्स, ड्राईंग शीट्स, शैक्षणिक पोस्टर, मोती, धागा, पेंसिल व वाटर कलर आदि का उपयोग बालक अपने-अपने अभिभावक के साथ गतिविधि में करेंगे।	प्रत्येक अभिभावक एवं बालक	-	गतिविधियों के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार 5000/-	अभिभावक एवं बालकों की सक्रियता में वृद्धि हो सकेगी।
2	मासिक बैठक हेतु अल्पाहार	प्रति मासिक आयोजित बैठक में अल्पाहार उपलब्धतानुसार	प्रत्येक अभिभावक को प्रति बैठक	-	1500 x 10 माह = 15000/-	अभिभावकों की कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम में सहभागिता में वृद्धि होगी। पोर्टफोलियों पर चर्चा की जायेगी।
3	अभिभावक पुरस्कार	उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अभिभावक को पुरस्कृत करना। (जिनके चयन का आधार निम्नानुसार होगा।) 1.जिनके बालक सर्वाधिक उपस्थित रहे। 2.जिनके बालक स्वच्छता से आए। 3.मासिक बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अभिभावकों को। (मोमेंटो/बालकों के लिए उपयोगी अन्य सामग्री)	सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावक	300/-	100/- x 3 पुरस्कार x 10 माह = 3000/- (न्यूनतम 3 पुरस्कार प्रदान किये जाये)	विद्यालय के प्रति रुझान बढ़ेगा। मासिक बैठकों में सहयोग व साझेदारी बढ़ेगी।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign

क्र. सं.	सामग्री	सामग्री का विवरण	मात्रा	इकाई व्यय	अनुमानित व्यय (रूपए में)	आउटकम
4	बालकों हेतु पुरस्कार	उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बालक Domain आधारित (5 गतिविधियों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले) 5X2 (100+50) को पुरस्कृत करना। (मोमेंटो/बालकों के लिए उपयोगी अन्य सामग्री)	सहभागिता दर्शाने वाले बालक	750/-	150/- x 5 पुरस्कार x 10 माह = 7500/- (प्रथम पुरस्कार 5 एवं द्वितीय पुरस्कार 5 प्रदान किये जाये)	बालकों के उत्साह में वृद्धि होगी।
5	जन्म दिवस का आयोजन	बालवाटिका में अध्ययनरत बालकों का जन्मदिन उत्सव आयोजन (आयोज्य माह में आने वाले सभी बालकों का जन्मदिन)	आयोज्य माह में आने वाले बालकों का जन्मदिन	500/-	500 प्रति बैठक x 10 = 5000/- वार्षिक	विद्यालय, बालक, अभिभावकों के संवाद में वृद्धि होगी।
6	मदर्स कॉम्पिटिशन	स्थानीय प्रचलित (संगीत, कला एवं खेल) प्रतिस्पर्धा का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण।	प्रति माह	300/-	300/- x 10 = 3000/- वार्षिक	महिला अभिभावकों की भागीदारी में वृद्धि हो सकेगी।
7	फोटो	प्रत्येक माह की बैठक की फोटो का प्रिन्ट लेना एवं एल्बम में संधारित करना।	न्यूनतम 3	100	प्रति बैठक 100/- x 10 = 1000/- वार्षिक	प्रत्येक माह की बैठक का प्रतिवेदन को प्रभावी बनाने में उपयोग
8	बैठक व्यवस्था	प्रति माह बैठक हेतु उपयोगी सामान जैसे दरी, कुर्सी, टेबल इत्यादि की व्यवस्था करना।		300	300/-X 10 = 3000/- वार्षिक	बैठक सुविधाजनक बनाने हेतु।
9	विविध व्यय	कार्यक्रम आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार सामग्री	प्रति माह 250 रुपये	250/-	250x10 = 2500/-	
कुल व्यय					45000/-	

नोट :

- उक्त सारणी में वर्णित मदवार राशि का उपयोग आयोजित मासिक बैठकों के अनुसार अनुपातिक रूप से किया जाना है।
- किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

प्रस्तावित गतिविधियां :- उक्त गतिविधियों का आयोजन पीएमश्री योजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में अनुमोदित बजट प्रावधान एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार किया जाना है। इसीसीई के मानदंडानुसार उक्त गतिविधियों के अलावा स्थानीय परिवेश की विशेषताओं के अनुसार अन्य गतिविधियों का भी चयन करते हुए सम्पादन किया जाए।

1. पुरस्कार वितरण –

- अभिभावक पुरस्कार** – अभिभावकों की कम्प्यूनिटि कनेक्ट प्रोग्राम में सहभागिता बढ़ाने एवं उत्साहवर्धन हेतु प्रतिमाह अभिभावकों को 3 श्रेणी में पुरस्कार वितरण किया जाये। प्रथम श्रेणी में सर्वाधिक उपस्थित रहने वाले बालकों के अभिभावक, द्वितीय श्रेणी वे अभिभावक जिनका बालक स्वच्छ एवं पूर्ण गणवेश में विद्यालय नियमित आता हो तथा तृतीय श्रेणी में वे अभिभावक जिनकी मासिक बैठकों में नियमित उपस्थिति एवं सक्रिय भूमिका रहती है।
- विद्यार्थी पुरस्कार** – बालकों के उत्साहवर्धन एवं विद्यालय के प्रति आकर्षण में वृद्धि हेतु प्रतिमाह 5 Domain में जादुई पिटारे एवं खेल आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बालकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार (प्रत्येक गतिविधि हेतु) प्रदान किये जाये जिसमें (बालकों के उपयोग की सामग्री) प्रथम पुरस्कार राशि 100 रु तक की एवं द्वितीय पुरस्कार हेतु राशि 50 रु तक

Signature valid

Digitally signed by Rajkaj Ref No.: 22374374
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign

2. **बालकों का जन्मदिवस आयोजन** – प्रत्येक बालक को अपना और उसके अभिभावकों को अपने बालकों का जन्मदिवस उत्सव आयोजन करना आनन्ददायक लगता है इसलिए एक अभिनव पहल के तौर पर प्रत्येक बालवाटिका में अध्ययनरत् बालकों का जन्मदिन मनाया जाना है। यह आयोजन जन्मदिन वाले महिने की मासिक बैठक में किया जाना है। इस उत्सव में प्रत्येक माह की मासिक बैठक में रंगीन झालर आदि से बालवाटिका को सजाया जाये। जन्मदिवस वाले बालकों का तिलक और माला से स्वागत सत्कार किया जाये। जन्मदिन संबंधी गीत व कविता आदि बोलकर तालियों की गूंज के साथ आयोजन किया जाये।
- जन्मदिवस वाले बालकों को उपहार/पुरस्कार प्रदान किए जाएं। उपस्थित समस्त बाल वाटिका के बालकों को मिठाई तथा फल का वितरण किया जाये।
3. **मदर्स कॉम्पिटिशन** – स्कूली शिक्षा में बुनियादी स्तर के मध्यनजर ईसीसीई के दिशानिर्देशानुसार महिला अभिभावकों की सहभागिता में वृद्धि की जाने वाली गतिविधियाँ आयोजित की जाए जैसे—स्थानीय भाषा में लोक गीत—संगीत, नृत्य, कला से संबंधित गतिविधि, इंडोर गेम आदि।

आयोज्य गतिविधियां :—निम्न सारणी अनुसार वार्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना है।

माह का नाम	विकास के आयाम	प्रस्तावित गतिविधि
जुलाई एवं दिसम्बर	भाषा विकास	- अभिभावकों द्वारा स्थानीय भाषा में कहानी, प्रसंग, संस्मरण सुनाना। - स्थानीय भाषा में कविता, लोकगीत सुनाना। - अपने जीवन की प्रेरणादायी घटना/संस्मरण सुनाना। - विविध प्रकार की ध्वनियों को सुनकर पहचानना। - दिखाये गये चित्रों पर बातचीत करना।
अगस्त एवं जनवरी	सामाजिक एवं नैतिक विकास	- सामूहिक खेलों का आयोजन करवाना। - अभिभावकों के समूह से कार्य करवाना एवं बालकों से नेतृत्व करवाना। - सामाजिक कार्यों/आयोजनों के अनुभव साझा करना। - हाथ एवं पैर में रिबन बांधते हुए प्रतियोगिता आयोजित करवाना। - सुरक्षा एवं विश्वास की भावना के अनुभव साझा करना। - अभिभावक, बालकों की अच्छी आदतों के बारे में चर्चा करना। - बालकों के व्यवहार में अच्छी आदतों की पहचान करना। - बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना का विकास।
सितम्बर एवं फरवरी	बौद्धिक विकास	- सामग्री/चित्र दिखाकर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करना। - सामग्री को छूकर पहचानना एवं नाम बताने की खेल गतिविधि। - टेन ग्राम/पजल/गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। - टेजर हंट वर्ग पहेली, ब्लॉक युक्त मानसिक एवं तार्किक गेम की प्रतियोगिता। - गुड टच—बैड टच की जानकारी देना।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign

माह का नाम	विकास के आयाम	प्रस्तावित गतिविधि
अक्टूबर एवं मार्च	शारीरिक विकास	- बाधा दौड़, निशाना लगाना, बॉल डालना, चम्मच दौड़, सतोलिया, म्यूजिकल चेयर से संबंधित खेल गतिविधि। - चित्र कला प्रतियोगिता, सुई में धागा/मोती पिरोना, रस्सी/सीधी लाईन पर चलना, बॉल/गिलास सिर पर रखकर दौड़ना। - स्थानीय परिवेश के अनुसार विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन।
नवम्बर एवं अप्रैल	सृजनात्मक विकास	- अभिभावकों के साथ अभिनय करना। - रोल परिवर्तन करते हुए गतिविधि का आयोजन। - क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करना। - सब्जियों जैसे भिंडी, प्याज, आदि के फिंगर के छाप द्वारा चित्र बनाना। - रंगोली एवं दीवार पर चित्र बनाना।
नोट :- - उपरोक्त वर्णित गतिविधिया सुझावात्मक है। इनके अतिरिक्त स्थानीय परिवेश के अनुसार शिक्षक अन्य गतिविधियों का भी नियोजन कर सकते हैं। - उपरोक्त सभी गतिविधियाँ बालकों एवं दादा-दादी/नाना-नानी/माता-पिता को आवश्यक रूप से सम्मिलित करते हुए आयोजित की जानी हैं। गतिविधि आयोजन के फोटोग्राफ लेकर प्रतिवेदन तैयार कर पत्रावली संधारित की जाये। - आयोजित गतिविधियों में सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावकों एवं बालकों को पुरस्कार प्रदान किये जायें, जो उनकी अभिप्रेरणा में वृद्धि करेंगे।		

4. **परिचय पत्र :-** बालवाटिका के प्रवेशित सभी बालकों के रंगीन फोटो युक्त परिचय पत्र बनाये जाने हैं। यह परिचय पत्र अच्छी गुणवत्ता के पीवीसी/मोटे प्लास्टिक में तथा गले में लटकाये जाने योग्य फीते या डोरी से युक्त हो। इस परिचय पत्र में निम्न लिखित सूचनाएँ होनी चाहिए :-

पीएमश्री विद्यालय

सत्र 2026-27

विद्यार्थी का नाम	कक्षा	जन्मदिनांक	एस. आर. नम्बर	फोटो	पिता का नाम एवं मोबाइल नम्बर	संस्थाप्रधान का नाम एवं मोबाइल नम्बर	घर का पता

5. **फ्लैक्स (प्रचार-प्रसार सामग्री) :-**

- प्रभारी शिक्षक सत्र के आरम्भ में संस्थाप्रधान के मार्गदर्शन में समुदाय एवं विद्यालय परिक्षेत्र में प्रवेश हेतु फ्लैक्स से संबंधित सामग्री तैयार करवाकर उन्हें उचित स्थानों पर लगवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- नामांकन एवं प्रवेश से संबंधित एक फ्लैक्स विद्यालय के मुख्य दरवाजे के आस-पास एवं दूसरा फ्लैक्स गांव के मुख्य स्थान/चौपाल/पंचायत घर/बस स्टैण्ड आदि में से किसी उचित स्थान पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Rajkaj Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign

3. पोस्टर्स को गांव के सभी मुख्य स्थानों पर लगवाना/चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।
4. अध्ययनरत/नामांकित बालकों का फोटोयुक्त पलेक्स निम्नानुसार डिस्प्ले किया जाएगा :-

पीएमश्री विद्यालय

सत्र 2026-27

क्र.सं.	बालक का फोटो	नाम	पिता का नाम	जन्मदिवस

इस पलेक्स को विद्यालय के ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाये जहां बालवाटिकाओं की कक्षाएं संचालित होती है।

5. सामुदायिक जागरूकता के लिए बनायी गई स्टेण्ड्रीज को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाये जहां सहजता से अभिभावक तथा बालकों द्वारा अवलोकन किया जा सके।

6. अल्पाहार :-

प्रत्येक माह में आयोजित की जाने वाली बैठक में सभी अभिभावकों का विद्यालय से जुड़ाव हो सके तथा विद्यालय की ओर से अभिभावकों का आतिथ्य किया जा सके। इस हेतु उन्हें बैठक में गुणवत्ता एवं विविधता युक्त अल्पाहार दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अल्पाहार में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसम के अनुकूल सामग्री उपलब्ध करायी जाए।

हमारे दायित्व :-

जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में :-

1. पीएमश्री की कार्ययोजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु आहरण सीमा जारी कराना।
2. ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. जिले के समस्त विद्यालयों में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम हेतु तिथियों का निर्धारण करना एवं कार्यक्रम का आयोजन कराना।
5. जिला अधिकारियों द्वारा समुदाय सहभागिता के कार्यक्रम में सम्बलन प्रदान करना।
6. प्रत्येक आयोजन के पश्चात् जिले का समग्र प्रतिवेदन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना।

ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के रूप में :-

1. पीएमश्री की कार्ययोजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु आहरण सीमा जारी कराना।
2. ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
3. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम हेतु तिथियों का निर्धारण करना एवं कार्यक्रम का आयोजन कराना।
4. जिला, ब्लॉक अधिकारियों द्वारा समुदाय सहभागिता के कार्यक्रम में सम्बलन प्रदान करना।
5. प्रत्येक आयोजन के पश्चात् ब्लॉक का समग्र प्रतिवेदन जिला समग्र शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करना।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign

संस्थाप्रधान के रूप में :-

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु गतिविधियों का आयोजन कराना एवं संधारण करना।
2. विद्यालय स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
3. निर्देशानुसार विद्यालय में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन कराना।
4. प्रत्येक आयोजन के पश्चात् प्रतिवेदन ब्लॉक, समग्र शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करना।

प्रभारी शिक्षक/संस्थाप्रधान के रूप में :-

1. कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम आयोजन से पूर्व अभिभावकों को आमंत्रण पत्र प्रेषित करते हुए सभी अभिभावकों की उपस्थिति हेतु प्रयास करना।
2. थीम आधारित गतिविधियों का निर्धारण एवं आयोजन कराना।
3. संस्था प्रधान के साथ समन्वय कर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। उपयोग एवं वितरण की जाने वाली सामग्री का लेखा निर्धारित पंजिका में संधारित करना।
4. कार्यक्रम में सहभागिता एवं विजेता विद्यार्थी, अभिभावकों को पुरस्कार प्रदान कराना।
5. समस्त गतिविधियों के दस्तावेजीकरण, प्रतिवेदन बनाकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

फोटो एवं दस्तावेजीकरण :-

1. प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठक की फोटो इस प्रकार ली जाये कि फोटो में बैठक आयोजन की तिथि दिखाई दे। इसके लिए पृष्ठभूमि में हरितपट्ट या श्यामपट्ट पर बैठक की दिनांक अंकित की जाये।
2. एक फोटो इस तरह से लिया जाये कि उपस्थित समस्त अभिभावकों की गणना सुनिश्चित हो सके।
3. प्रत्येक बैठक की फोटो का प्रिंट प्रतिवेदन के साथ संलग्न हो।
4. प्रत्येक बैठक में सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावकों की उपस्थिति दर्ज की जाए।
5. वितरित की जाने वाले समस्त सामग्री का विवरण पंजिका में अंकित किया जाए।

विशेष :-

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जाये।
- कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के उपरान्त व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में राशि व्यय के 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- मद अन्तर्गत व्यय राशि को पीएमश्री योजना के लिए बनाये जाने वाले व्यय पोर्टल पर प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by Rasmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign

- सामग्री का क्रय राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कर, स्थायी, अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करवाकर सामग्री का सदुपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- गतिविधि पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र **E-mail:** primarypre@yahoo.com एवं ECCE Whatsapp ग्रुप पर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

(डॉ० रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप-जयपुर।
3. निदेशक, प्राशि/माशि, राजस्थान-बीकानेर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्कूलशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त-पीएमश्री, राजस्कूलशिप, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
8. उपनिदेशक-शालादर्पण, राजस्कूलशिप, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
9. जिला प्रभारी (OIC) समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि प्रभारित जिले में गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए गतिविधि का सम्पादन कराये।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक – समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. संस्थाप्रधान – पीएमश्री विद्यालय।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

क्रमांक

दिनांक

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)

पीएमश्री विद्यालयों में संचालित बालवाटिकाओं हेतु कम्यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त आहरण सीमा (राशि)	कम्यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम गतिविधि आयोजित करने वाले विद्यालयों की संख्या	कम्यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम गतिविधि आयोजित नहीं करने वाले विद्य ालयों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1									

हस्ताक्षर प्रभारी

हस्ताक्षर एडीपीसी

उक्त प्रपत्र गतिविधि पूर्ण होने पर जिला स्तर पर समेकित कर राज्य स्तर को primarypre@yahoo.com
 एवं ECCE Whatsapp ग्रुप पर प्रेषित किया जाये।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
 Designation: State Project Director
 Date: 2026.05.23 12:45:00 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
 22374374

M e-Sign

**Community Connect Program for Pre-Primary Sections
District wise count (629 PM Shri School)**

S.No.	District	Count of Balvatika
1	AJMER	24
2	ALWAR	30
3	BANSWARA	18
4	BARAN	16
5	BARMER	29
6	BHARATPUR	22
7	BHILWARA	25
8	BIKANER	16
9	BUNDI	16
10	CHITTAURGARH	17
11	CHURU	15
12	DAUSA	16
13	DHAULPUR	12
14	DUNGARPUR	14
15	GANGANAGAR	19
16	HANUMANGARH	16
17	JAIPUR	34
18	JAISALMER	10
19	JALOR	18
20	JHALAWAR	14
21	JHUNJHUNUN	20
22	JODHPUR	29
23	KARAULI	14
24	KOTA	20
25	NAGPUR	29
26	PALI	23
27	PRATAPGARH (RAJ.)	14
28	RAJSAMAND	16
29	SAWAI MADHOPUR	10
30	SIKAR	27
31	SIROHI	10
32	TONK	16
33	UDAIPUR	30
	Grand Total	639

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.23/12:45:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22374374

M e-Sign